कार्यालय प्राचार्य,शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय,(मचेवा)महासमुंद(छ.ग.)
Email- govtmatakarmagirlscollege@gmail.com/www.gmkgclgmsmd.in Phone: 07723-299128
Affilitated to Pt.Ravishankar shukla University Raipur C.G.

पत्र क्र. 385 / अति.व्या.विज्ञापन / 2026 महासमुंद, दिनांक 21 / 08 / 2026

परिशिष्ट 01

–: अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन 2026–27:–

शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मचेवा, महासमुन्द (छ.ग.) के सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के रिक्त पद के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं / वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

नोट :– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, इस महाविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

21.08.2026

(डॉ.शीलभद्र कुमार)
प्रभारी.प्राचार्य
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य,शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय,(मचेवा)महासमुंद(छ.ग.)
Email- govtmatakarmagirlscollege@gmail.com/www.gmkgclgmsmd.in Phone: 07723-299128
Affilitated to Pt.Ravishankar shukla University Raipur C.G.

पत्र क्र./386/अति.व्या.विज्ञापन/2026 महासमुंद, दिनांक 21/08/2026

परिशिष्ट 01(अ)

-: अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन 2026-27 :-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रं. ESTB/2035/637/2026/RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर दिनांक 18.08.2026 एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, का पत्र क्रं ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 18.08.2026 के पत्रानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के निर्देशों के अनुपालन में शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मचेवा, महासमुन्द (छ.ग.) विषय समाजशास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 31.08.2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) आवेदन जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता-

01. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक)।

02. आयु सीमा/अधिकतम 65 वर्ष तक की होगी।

03. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

विषय/पद का विवरण :-

क्र.	पद का नाम	विषय का नाम	रिक्त पद
1.	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	01

टीप- संबंधित विषय में नियमित नवीन नियुक्ति नियमित पदस्थापना/स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर अतिथि व्याख्याता की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते -

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 31.08.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं/वाहक के हस्ते उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, निर्धारित समय में प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जा सकेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07.09.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. अनंतिम सूची पर दावा आपत्ति की तिथि 11.09.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 17.09.2026 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन इस महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल पर अपलोड/चस्पा किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय गैर न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।

08. चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में उसे पुनः सम्मिलित किया जाना संभव नही होगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय मचेवा, महासमुन्द (छ.ग.) पिन 493445 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहेलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तों उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. चयनित आवेदकों को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में भी ये सहयोग करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में उनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

21.08.2026

(डॉ. शीलभद्र कुमार)
प्रभारी प्राचार्य
शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय,
~~मचेवा~~ महासमुंद (छ.ग.)